# Continuation Note Sheet

19.11.25 वादिनी द्वारा मूल वाद संशोधन पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। वादिनी द्वारा मूल वाद में संशोधन पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को खारिज किया जा चुका है। मूल वाद के खारिज होने से इस प्रकरण में का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है अतः इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। प्रकरण खारिज के कारण होकर वकील पारिश्रमिक निर्धारण अधिवक्ता रहे।

Amita Devi